

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3114 /

12-1 अल्मोड़ा,

दिनांक,

2016.

19/21

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :- बागेश्वर-बालीघाट-धरमधर खनतोली मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 12710/2015)

संदर्भ :- आपकी आपत्ति दिनांक 02.11.2015।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग से सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की आपत्ति दिनांक 02.11.2015 सूचित ऑन लाइन आपत्तियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक 1743/12-1 दिनांक 02.11.2015 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 2338/12-1 दिनांक 15.02.2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	SOI Toposheet map attached with part I C is very dim and not legible may upload again.	Toposheet map पुनः अपलोड कर दिया गया है। Toposheet map संलग्न कर सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।
2	Employment to be generation not mentioned in part-1E.	Employemnt generation was shown as Nill in part-1 due to typing mistake Employment will generate during construction of road.
3	State Govt. Land proposed for muck disposal but legal status and area of this is not mentioned. May provide this in area proposed for diversion if this land is forest land.	मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी० चौ० में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 03 डम्पिंग जोन जिनकी चौ० 1.50 मी० है, तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊ० 2.00 से 3.00 मी० के बीच है प्रस्तावित किये गये हैं। मार्ग निर्माण 6.00 मी चौ० में किया जायेगा। तथा इसके पश्चात् खड्डे साईड में स्थित 1.50 मी० चौ० के डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त 03 डम्पिंग जोन में 6.00 मी० मार्ग निर्माण एवं खड्ड साईड में 1.50 मी० कुल 7.50 मी० चौ० में भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी० चौ० में सम्मिलित है।
4	In part II 210 tree shown involved in forest land but in the list of tree attached in part I 105 tree shown on forest land .	Correction has been done in part II accordance with the actual figures of trees affected in the proposed land.
5	In column 15 of part II date of site inspection menrioned as 08-06-2015. But in the site inspection report it is mentioned and recommended in SIR is 1.48ha whereas the prposal is for diversion of 0.63 ha column 5.4 and 5.5 of SIR not filled.	Amemded site inspection report has been uploaded in the site inspection section of online form A part II.
6	105 trees are prposed to be felled over an area of 0.63 ha. Which also includes 56 oak trees efforts may be made to reduce the no of trees.	The said numbers of trees are not the affected figures of trees involved over the forest land proposed for diversion, out of which 38 oak trees are enumerated in the village forest and revenue forest whereas n18 oak trees affected in the Nap land.
7	Instead of recommendation of DFO site Inspection report has been attached.	Correction has been done in the online form A part II.

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०: 05963-220249

वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 2338/ 12-1-2
सेवा में,

बागेश्वर

दिनांक : 15/ 02 /2015

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – आनलाईन प्रस्ताव बागेश्वर-बालीघाट-धरमघर खनतोली मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 12710/2015)।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 1743/12-1 अल्मोड़ा दिनांक 02.11.2015

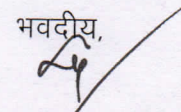
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि बागेश्वर-बालीघाट-धरमघर खनतोली मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने स्तर से बिन्दु संख्या 1,2,3, व बिन्दु संख्या 4,5,6,7, का निराकरण इस कार्यालय से कर निम्नानुसार प्रेषित किया जा गया है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	SoI Toposheet map attached with part I C is very dim and not legible may upload again.	Toposheet map पुनः अपलोड कर दिया गया है। Toposheet map संलग्न कर सुलभ संन्दर्भ हेतु प्रेषित हैं
2	Empoyment to be generation not mentioned in part I E.	Empoyment generation was shown as Nill in part-1 due to typing mistake. Employment will generate during construction of road.
3	State Govt. land proposed for Muck disposal but legal status and area of this is not mentioned. May provide this in area proposed for diversion if this land is forest land	मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी० चौ० में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 03 डम्पिंग जोन जिनकी चौ० 1.50 मी० है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊ० 2.00 से 3.00 मी० के बीच है प्रस्तावित किये गये हैं। मार्ग निर्माण 6.00 मी चौ० में किया जायेगा तथा इसके पश्चात खड्ड साईड में स्थित 1.50 मी० चौ० के डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त 03 डम्पिंग जोन में 6.00 मी० मार्ग निर्माण एवं खड्ड साईड में 1.50 मी० कुल 7.50 मी० चौ० में भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी० चौ० में सम्मिलित हैं।
4	In part II 210 tree shown	Correction has been done in part II

	involved in forest land but in the list of tree attached in part I 105 tree shown on forest land	accordance with the actual figures of trees affected in the proposed land.
5	In column 15 of part II date of site inspection mentioned as 8.6.2015 but in the site inspection report it is mentioned as 11.05.2015. the area mentioned and recommended in SIR is 1.485ha whereas the proposal is for diversion of 0.63 ha. Column 5.4 and 5.5 of SIR not filled.	Amended site inspection report has been uploaded in the site inspection section of online Form A part II.
6	105 Trees are proposed to be felled over an area of 0.63 ha. which also Includes 56 oak trees. Efforts may be made to reduce the no. of trees.	The said numbers of trees are not the affected figures of trees involved over the forest land proposed for diversion, out of which 38 oak trees are enumerated in the Village forest and Revenue forest whereas 18 oak trees affected in the Nap land.
7	Instead of Recommendation of DFO. Site Inspection report has been attached	Correction has been done in the online form A part II.

अतः प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे ।

भवदीय,

 (एम0बी0सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
 वन प्रभाग, बागेश्वर।


**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट**

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक

22/30/2230/25

दिनांक 18/12/2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषय:-

बागेश्वर-बालीघाट-धरमघर खन्तोली मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं0 12710/2015)

सन्दर्भ:-

वन संरक्षक अल्मोड़ा के पत्रांक सं0 1743/12-1 अल्मोड़ा दिनांक 02.11.2015

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण ऑन लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक सं0 976(1)/X-4-15/1(495)/2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृत हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया था। वन संरक्षक अल्मोड़ा के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांक द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियाँ लगायी गयी हैं।

अतः बिन्दु सं0 1, 2 एवं 3 में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	So I Toposheet map attached with part I c is very dim and not legible may upload again.	Toposheet map पुनः अपलोड कर दिया गया है। (Toposheet map संलग्न कर सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।
2	Empoyment to be generation not mentioned in part I E.	Empoyment generation was shown as Nill in part-I due to typing mistake. Employment will generate during construction of road.
3	State Govt. land proposed for Muck disposal but legal status and area of this land is not mentioned. May provide this information and include this in area proposed for diversion if this land is forest land.	मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी0 चौड़ाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 03 डम्पिंग जोन जिनकी चौड़ाई 1.50 मी0 है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊँचाई 2.00 से 3.00 मी0 के बीच है प्रस्तावित किये गये हैं। मार्ग निर्माण 6.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा तथा इसके पश्चात खड्ड साईड में स्थित 1.50 मी0 चौड़ाई के डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त 03 डम्पिंग जोन में 6.00 मी0 मार्ग निर्माण एवं खड्ड साईड में 1.50 मी0 कुल 7.50 मी0 चौड़ाई में भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0 चौड़ाई में सम्मिलित है।

(110)

3148
12-12-2015
21-01-16

(2)

4	In part II 210 tree shown involved in forest land but in the list of trees attached in part I 105 trees shown on forest land.	Filled in DFO office
5	In column 15 of part II date of site inspection mentioned as 8.6.2015 but in the site inspection report it is mentioned as 11.05.2015. the area mentioned and recommended in SIR is 1.485 ha whereas the proposal is for diversion of 0.63ha. column 5.4 and 5.5 of SIR not filled.	Filled in DFO office
6	105 trees are proposed to be felled over an area of 0.63ha which also including 56 oak trees. Efforts may be made to reduce the no. of trees.	Filled in DFO office
7	Instead of Recommendation of DFO Site Inspection report has been attached.	Filled in DFO office

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
कपकोट 18/12/15

पत्रांक

/

दिनांक

/ 12 / 2015

प्रतिलिपि वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को उनके पत्रांक सं० 1743/12-1 अल्मोड़ा दिनांक 02.11.2015 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
कपकोट

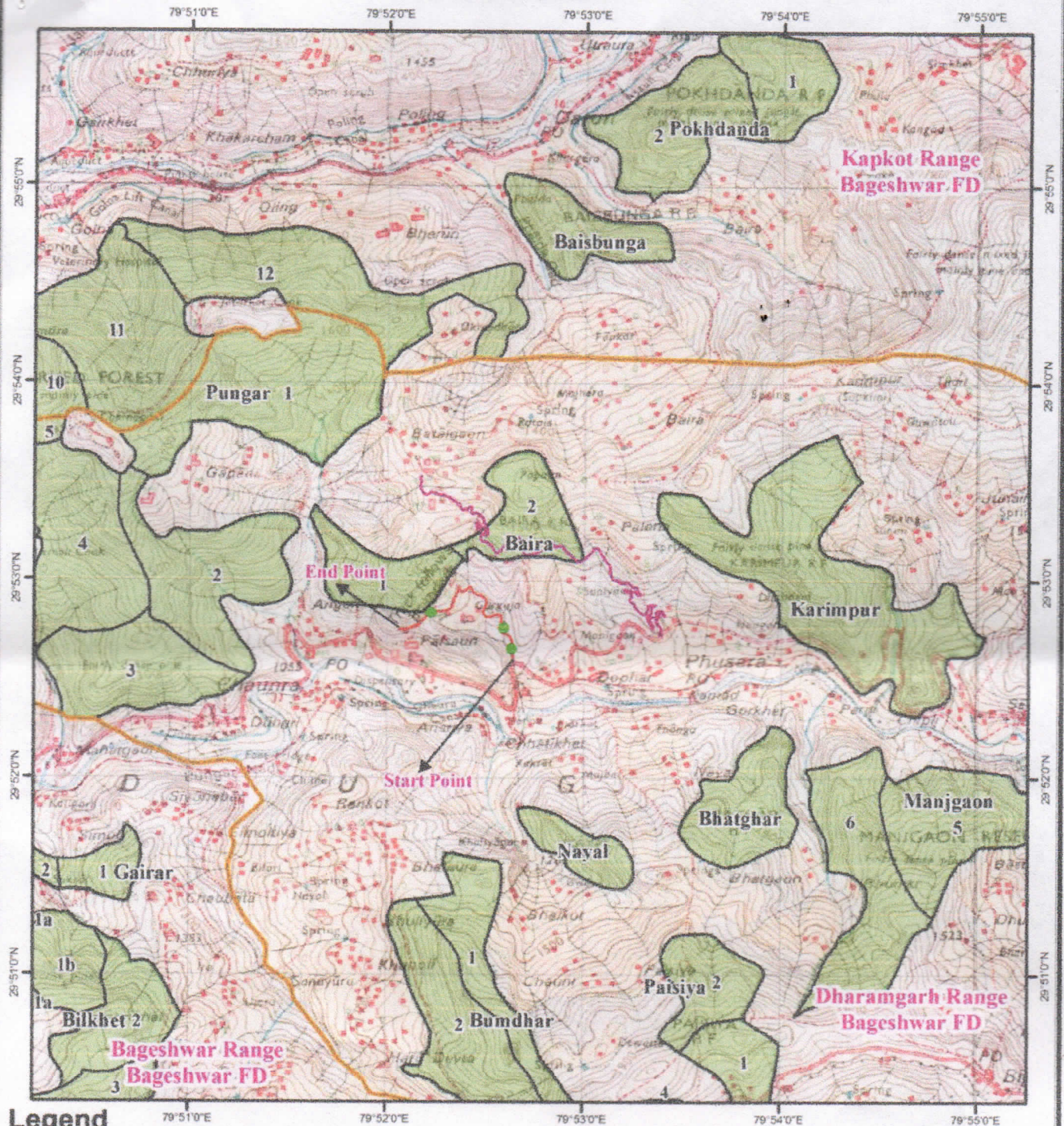
डिजिटल मानचित्र - जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बालीघाट धरमधर मोटर मार्ग के खन्तोली पुली से गुरुगुब्बा प्राथमिक पाठशाला तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० कि०
अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० कि०

डिजिटल मानचित्र – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बालीघाट धरमघर मोटर मार्ग के खन्तोली पुली से गुरुगुच्चा प्राथमिक पाठशाला तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Muck Disposal
- Existing Road
- Proposed Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट